भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

GOVERNMENT OF INDIA

NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. BB/2/2018/MHRD2/DEOTH/RU-III

6th floor, B Wing Loknayak Bhawan,
Khan Market,
New Delhi-110003
Dated: 18-05-2018

To,

1. The Vice Chancellor,
University of Delhi,
Delhi-110007

2. The Principal,
Zakir Hsain Delhi College,
Jawaharlal Nehru Marg,
Ramlila Ground, SKD, Basti
Ajmeri Gate, New Delhi-110002

Sub: Representation of Shri Bharat Bhatt, Deptt. of Commerce, Zakir Husain Delhi College Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi regarding zero admission under Scheduled Tribe Category in few Department (Physical Science, Electronics, Chemistry, Commerce, Economics and English) in the academic session 2017-18, by the acting Principal, Dr. Sulekh Chandra, ZHDC (Day) (2) Representation of Shri Bharat Bhatt, (Liaison Officer SC/ST & PWD) Zakir Husain Delhi College (Day) University of Delhi, Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi regarding roster violation in current vacancy of Department of Commerce, by the acting Principal Dr. Sulekh Chandra, ZHDC (Day) and request to intervene to fill the backlog vacancy and joining of Shri Guangpuanang Kahmei.

Sir,

I am directed to enclose herewith a copy of Proceeding of the Sitting taken by Miss Anusuiya Uikey, Hon'ble Vice-Chairperson, NCST on 18-04-2018 for information and urgent necessary action.

It is requested that action taken report in this regard may be submitted to this Commission within two months' time.

Yours faithfully,

(R. K. Dubey)
Assistant Director

Copy for information and necessary action to:

1. Shri Bharat Bhatt, (Liaison Officer SC/ST & PWD) Zakir Husain Delhi College (Day) University of Delhi, Jawaharlal Nehru Marg, New Delhi-110002

2. SAS, NIC, NCST uploaded on the web site.

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. BB/2/2018/MHRD2/DEOTH/RU-III

विषय :–दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में अनुसूचित जनजातियों के सहायक प्राध्यापकों की स्थायी एवं अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन न किये जाने, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु संपर्क अधिकारी से रोस्टर सत्यापन न करा कर नियमों की अवहेलना किए जाने और सत्र 2017–18 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 'कट–ऑफ' में नियमानुसार छूट न दिये जाने के कारण उनका 'जीरो एडमिशन' होने के संबंध श्री भरत भट्ट, संपर्क अधिकारी तथा अन्य से प्राप्त अभ्यावेदनों पर संयुक्त कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा प्रभारी प्राचार्य डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के साथ दिनांक 18.04.2018 को 12.30 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्नक

दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के शून्य प्रवेश तथा सहायक प्राध्यापकों की स्थाई एवं अस्थाई नियुक्तियों में आरक्षण नियमों का अनुपालन न किए जाने तथा प्रभारी प्राचार्य द्वारा इस संबंध में संपर्क अधिकारी (अ.जा./अ.ज.जा.) की सलाह न मान कर नियमों की अनदेखी किए जाने बाबत श्री भरत भट्ट, संपर्क अधिकारी (अ.जा./अ.ज.जा.) से शिकायत प्राप्त हुई थी।

2. मामले की गंभीरता को देखते हुए माननीय उपाध्यक्ष महोदया की अध्यक्षता में दिनांक 18.04.2018 को कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय एवं प्रभारी प्राचार्य, डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के साथ बैठक रखी गई थी।

3. श्री भरत भट्ट, संपर्क अधिकारी, डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज ने आयोग को बताया कि रिजर्वेशन रोस्टर में काफी कमियां हैं जिनको दूर किए बिना कॉलेज प्रशासन द्वारा रिजर्वेशन रोस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। इसके लिए वे सहमत नहीं हैं क्योंकि जबसे उन्हें संपर्क अधिकारी बनाया गया है, तब से रिजर्वेशन रोस्टर के बारे में उनसे कोई सलाह नहीं ली गई और प्रभारी प्राचार्य मनमाने ढ़ंग से कार्य करते हैं । वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण के बावजूद कट– ऑफ कम नहीं किया गया जिससे कई पाठ्यक्रमों में जीरो एडमिशन की स्थिति बनी। प्रभारी प्राचार्य ने अपनी मर्जी के मुताबिक दूसरे वर्गों के विद्यार्थियों को एडमिशन दिया जो सरेआम आरक्षण निर्देशों के विरुद्ध है। उन्होंने विशेष रूप से सहायक प्राध्यापकों की अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन व बैकलॉग पूरा न किए जाने के का आरोप लगाया और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पत्र सं. एफ.1–5/2006 (एससीटी) दिनांक 25.08.2006 द्वारा जारी दिशा–निर्देश के बिंदु क्रमांक 7(सी) का पालन न किये जाने की बात कहीं जो बैकलॉग/शॉर्टफॉल रिक्तियों को बिना किसी रोक के भरने से संबंधित है । उन्होंने कहा कि कॉलेज द्वारा इस नियम का पालन नहीं किया गया और अनुसूचित जनजाति के अस्थायी सहायक प्राध्यापक श्री गुआंगपुआनांग कहमई को नौकरी से हटा दिया गया।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

4. आयोग ने डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य को इस विषय पर अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए वास्तविक स्थिति की जानकारी देने को कहा। डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य ने आयोग को यह बताया कि वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों में प्रवेश में आरक्षण दिया जाता है तथा एडमिशन करते समय कुछ त्रुटियां रह गई थीं। चूंकि एडमिशन का मामला वर्ष 2017–18 से संबंधित है, और पिछले वर्ष छात्रों का एडमिशन हो चुका है इस लिए इन कमियों को अब दूर किया जाना संभव नहीं है। अब नया सत्र 2018–19 शुरू होने वाला है जिसमें अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों को दाखिला देते समय आरक्षण नीति एवं विश्वविद्यालय के द्वारा कट ऑफ के संबंध में जारी दिशा–निर्देशों का पूरा ख्याल रखा जाएगा। अनुसूचित जनजाति के अस्थायी सहायक प्राध्यापक श्री गुआंगपुआनांग कहमई को नौकरी से हटाने के संबंध में उन्होंने कहा कि विभिन्न विभागों के वर्क लोड (कार्य की मात्रा) में परिवर्तन के कारण यह स्थिति निर्मित हुई है। उन्होंने संपर्क अधिकारी (अ.जा./अ.ज.जा.) पर ही असहयोग का आरोप लगाया। बैठक में प्रभारी प्राचार्य एवं आवेदकों के बीच नियमों एवं तथ्यों को लेकर आरोप–प्रत्यारोप भी हुए।

5. आयोग ने बैठक में यह महसूस किया है कि डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज से आए हुए संपर्क अधिकारी, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के शिक्षकों तथा कालेज के प्रभारी प्राचार्य के बीच नियमों एवं प्रक्रियाओं को लेकर काफी मतभेद एवं कटुता है। प्रभारी प्राचार्य और संपर्क अधिकारी के बीच समन्वय की कमी है और प्राचार्य भी संपर्क अधिकारी की भूमिका को महत्व नहीं देते। प्रभारी प्राचार्य को अस्थाई नियुक्तियों सहित सभी प्रकार के नियुक्तियां करने से पूर्व संपर्क अधिकारी का अनुमोदन लिया जाना चाहिए था, जो नहीं लिया गया जिससे अविश्वास की स्थिति उत्पन्न हुई है। अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पाठ्यक्रमों के प्रवेश में आरक्षण के बावजूद कट– ऑफ कम नहीं किया गया जिससे कई पाठ्यक्रमों में जीरो एडमिशन की स्थिति बनी। इस स्थिति से बचा जाना चाहिए था। इस संबंध में आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएं करता है:

1. कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय एक दल गठित कर डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के सहायक प्राध्यापकों की स्थायी एवं अस्थायी नियुक्तियों से संबंधित रोस्टरों की जांच कराएं और भारत सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के दिशा निर्देशों के अनुसार उनका अनुपालन सुनिश्चित करें । साथ ही वर्ष 2017–18 में सहायक प्राध्यापक श्री गुआंगपुआनांग कहमई नौकरी से हटाकर को वंचित किए जाने संबंधित मामले पर विशेष रूप से जांच कराकर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें ।
2. दिल्ली विश्वविद्यालय यह भी सुनिश्चित करे कि डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज सहित सभी कॉलेजों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश देते समय अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित सभी सीटें भरी जाएँ जिससे शून्य प्रवेश (जीरो एडमिशन) न हो । वर्ष 2017–18 में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित सीटों के खाली रहने के संबंध में यदि दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश हेतु निर्धारित कट–ऑफ का पालन किए जाने संबंधी सभी निर्देशों का पूर्ण रुप से पालन नहीं किया गया है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जाए । वर्तमान सत्र में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों हेतु आरक्षित सीटें भरने हेतु विशेष रूप से सतर्कता बरती जाए ताकि सीटें खाली न रहें।
3. उक्त बिंदुओं पर जांच दो माह में पूर्ण कर आयोग को अवगत कराया जाए।

सुश्री अनुसुईया उइके/Miss Anusuiya Uikey
उपाध्यक्ष/Vice Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

विषय :–दिल्ली विश्वविद्यालय के डॉ. ज़ाकिर हुसैन कॉलेज में अनुसूचित जनजातियों के सहायक प्राध्यापकों की स्थायी एवं अस्थायी नियुक्तियों में आरक्षण रोस्टर का पालन न किये जाने, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति हेतु संपर्क अधिकारी से रोस्टर सत्यापन न करा कर नियमों की अवहेलना किए जाने और सत्र 2017–18 में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश में अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को 'कट–ऑफ' में नियमानुसार छूट न दिये जाने के कारण उनका 'जीरो एडमिशन' होने के संबंध श्री भरत भट्ट, संपर्क अधिकारी तथा अन्य से प्राप्त अभ्यावेदनों पर संयुक्त कुलसचिव, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा प्रभारी प्राचार्य डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज के साथ दिनांक 18.04.2018 को 12.30 बजे हुई बैठक का कार्यवृत्त।

बैठक में भाग लेने वाले अधिकारियों की सूची संलग्नक

क्र.सं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. सुश्री अनुसूईया उईके, माननीय उपाध्यक्ष
2. श्री आर.के.दुबे, सहायक निदेशक
3. उपाध्यक्ष के निजी सचिव
4. श्री डी.सी.कटोच, परामर्शक

दिल्ली विश्वविद्यालय

1. श्री बी. राजाराजन, संयुक्त कुलसचिव

डॉ. जाकिर हुसैन कॉलेज

1. श्री सुलेख चंद्र, प्राचार्य

आवेदक

1. श्री भरत भट्ट, संपर्क अधिकारी